राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या– 260/2022
GCMS No.2022/00756

1. त्रवीणी पत्नी श्री श्यामसुन्दर
2. मनोज कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर
   जाति ब्राहमण निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. धुड़ाराम पुत्र गोकलराम
2. भरताराम पुत्र जगनाथ
3. रूड़ाराम पुत्र गोकलराम
4. रामनिवास पुत्र गोकलराम
5. रामोतार पुत्र गोकलराम
6. सागरमल पुत्र जगनाथ
   1 लगायत 6 जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक।
8. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटूवास जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128/111 भू राजस्व अधिनियम 1956
बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी
खसरा नंबर 480 ग्राम बेसरड़ा

:: निर्णय :: दिनांक 04–01–2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 52 के खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है., ख.नं. 482 रकबा 0.10 है., ख. नं. 484 रकबा 0.02 है., ख.नं. 485 रकबा 0.24 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.73 है. भूमि में प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा आपसी भाई बंटवारे में प्रार्थीगण के हिस्से में खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. की भूमि आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण निरन्तर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। वाके ग्राम बेसरड़ा स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या नया 224 के खसरा नंबर 375

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.42 है., ख.नं. 384 रकबा 0.26 है., ख.नं. 385 रकबा 0.30 है., ख.नं. 409 रकवा 0.38 है., ख.नं. 435 रकबा 0.02 है., खनं. 436 रकवा 0.40 है., ख.नं. 438 रकबा 0.38 है., ख.नं. 450 रकबा 0.28 है., ख.नं. 459 रकबा 0.58 है., ख.नं. 475 रकबा 0.45 है., ख.नं. 479 रकबा 0.44 है., ख.नं. 489 रकबा 0.02 है., ख.नं. 490 रकबा 0.34 है., ख.नं. 492 रकबा 0.04 है., ख.नं. 493 रकबा 0.48 है., ख.नं. 523 रकबा 0.46 है., ख.नं. 526 रकबा 0.20 है., ख.नं. 527 रकबा 0.30 है. कुल किता 18 कुल रकबा 5.75 है. भूमि के अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण निरन्तर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नंबर 479 रकबा 0.44 है. की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. के उत्तरी दिशा में सींव जोड़ स्थित है। प्रार्थीया सं. 1 ने तहसीलदार, खेतड़ी को सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार, खेतड़ी ने प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. का दिनांक 22.06.2015 को पटवार मण्डल मेहाड़ा जाटूवास ने कार्यालय भू0अ0 झुन्झुनूं द्वारा जारी शीट के मुताबिक जरीब चलाकर खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. का सीमाज्ञान कराया और मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं सीमा चिन्ह् कायम किये। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. की सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. की उत्तरी सीमा को तोड़ देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाके ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगांयत 2079 के खाता संख्या नया 52 के खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. भूमि की उत्तरी सीमा जो अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 479 रकबा 0.44 है. के साथ लगती है, उक्त खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. की सर्वे रिपोर्ट से नपती करवाकर खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. की उत्तरी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 52, खाता सं. 224 ग्राम बेसरड़ा, नकल फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.06.2015 एवं नकल खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी पेश किये।

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम बेसरड़ा की जमाबंदी संवत् 2076–2079 खाता सं. 52 खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 22–06–2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा प्रार्थीगण पुनः ख.नं. 480 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं जो विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ग्राम बेसरड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 480 रकबा 0.37 है. भूमि की पुनः नपति कर रू. 400/– की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 04–01--2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज०)

Scanned with OKEN Scanner